माननिए न्यायमूर्ति अजय तिवारी के समक्ष

पुष्पा बाई - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य – उत्तरदाता

2017 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2063

मई 10, 2017

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - हरियाणा सरकार की स्थानांतरण नीति दिनांक 29.06.2016 पर चर्चा की गई - आक्षेपित स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिका - सरकार ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया - कि उनकी बेटी "मिर्गी, गंभीर मानसिक मंदता" से पीड़ित है जो अधिसूचना संख्या 1/72-2016-ई द्वारा अधिसूचित बीमारियों की सूची में शामिल नहीं है। सरकारी प्रकोष्ठ दिनांक 27.06.2016 - उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की कि वे गंभीर बीमारियों के लिए बिंदुओं की अनुमति देकर उनके दावे पर पुनर्विचार करें उसकी बेटी की - सीडब्ल्यूपी को\ अनुमति दी।

अभिनिर्धारित किया की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एच.सी.एम.एस.-I, सिविल सर्जन, महेंद्रगढ़, नारनौल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच करने पर, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की बेटी की पहचान 'मानसिक मंदता से पीड़ित विकलांग/गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति' के रूप में की गई है। इसी तरह की पुष्टि प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, अंबाला शहर के चिकित्सा प्रमाण पत्र में मौजूद है। यह पावती उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने का आधार है, जैसा कि उनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के पैराग्राफ 4 में दर्शाया गया है। नतीजतन, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अतिरिक्त 10 अंक आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता के वकील राम निवास शर्मा।

हरीश राठी, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा.

न्यायमूर्ति अजय तिवारी (मौखिक)

1. यह याचिका 17.09.2016 (पी-6) और 01.12.2016 (पृष्ठ 11) को जारी स्थानांतरण निर्देशों को अमान्य करने की मांग करती है, जिसमें याचिकाकर्ता को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, खटोटी सुल्तानपुर (नारनौल) जिला महेंद्रगढ़ से सरकारी प्राथमिक विद्यालय, दोचाना, नारनौल (महेंद्रगढ़) में एक रिक्ति के खिलाफ स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह 29.06.2016 (पी-2) की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, उनके अभ्यावेदन दिनांक 26.09.2016 (पी-9) की अस्वीकृति इस तर्क पर आधारित थी कि उनकी बेटी की "मिर्गी की गंभीर मानसिक मंदता" की स्थिति अधिसूचना संख्या 1/72-2016-ई.गवर्नमेंट सेल दिनांक 27.06.2016 में उल्लिखित बीमारियों में सूचीबद्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं से अपने मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जिससे उसे अपनी बेटी की गंभीर बीमारियों के लिए 10 अंक मिल सकें।

(2) 07.03.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था :-

" उत्तरदाता संख्या 1 से 3 की ओर से संक्षिप्त जवाब आज अदालत में दायर किया गया है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है।

8 फरवरी, 2017 को निम्नलिखित तर्क देखा गया।

"आवेदक-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विशेष रूप से तर्क दिया कि स्थानांतरण नीति बीमारी से संबंधित दो अलग-अलग श्रेणियों को महत्व देती है। एक श्रेणी में कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी या उनके अविवाहित बच्चों को प्रभावित करने वाली सामान्य बीमारियां शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी उन मामलों के लिए विशिष्ट है जहां एक कर्मचारी के मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका बच्चा मानसिक रूप से विकलांग श्रेणी में आता है, लेकिन उत्तरदाताओं ने लगातार उसके मामले को पहली श्रेणी के लिए अयोग्य माना है। यह इस मामले में तीसरी याचिका है। प्रारंभिक जांच पर, तर्क वैध प्रतीत होता है, एक संबंधित स्थिति का सुझाव देता है जहां अदालत के साथ-साथ राज्य पर भी बोझ है।“

संक्षिप्त उत्तर के पैरा संख्या 4 में, यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला क्रम संख्या 6 में आता है और इसलिए, याचिकाकर्ता उस खाते पर 10 अंकों का हकदार था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर अगले स्थानांतरण

द्वितीय अभियान में पुनर्विचार किया जाएगा, जो कि वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा के अनुसार अप्रैल के बाद होगा।

10.05.2017 तक के लिए स्थगित।

(3) आज तक, वरिष्ठ डीएजी ने स्वीकार किया कि दूसरा स्थानांतरण अभियान अभी तक नहीं हुआ है, तार्किक कारणों का हवाला देते हुए।

(4) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति इतनी जरूरी है कि इस मामले में कोई भी देरी अस्वीकार्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एच.सी.एम.एस.-I, सिविल सर्जन, महेंद्रगढ़, नारनौल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच करने पर, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता की बेटी की पहचान 'मानसिक मंदता से पीड़ित विकलांग/गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति' के रूप में की गई है। इसी तरह की पुष्टि प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल, अंबाला शहर के चिकित्सा प्रमाण पत्र में मौजूद है। यह पावती उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने का आधार है, जैसा कि उनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के पैराग्राफ 4 में दर्शाया गया है। नतीजतन, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अतिरिक्त 10 अंक आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद, उन्हें उसकी पात्रता के अनुसार एक स्थानांतरण आदेश जारी करना है। यह कार्रवाई आज से एक महीने के भीतर की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश निकट भविष्य में दूसरे स्थानांतरण अभियान के संभावित रूप से घटित होने अथवा न होने से स्वतंत्र है।

(5) उपरोक्त शर्तों में याचिका की अनुमति दी जाती है।

(6) चूंकि मुख्य मामले पर निर्णय लिया गया है, लंबित सिविल विविध आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान कर दिया गया है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का

अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा